



175

पुनर्स्थापना प्र.क्र. /2019
प्रस्तुति दिनांक : 13.03.2019
(रिविजन नंबर 3916/पी.बी.आर./2014)
निराकृत दिनांक 21.02.2019

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के समक्ष

1. गोपाल पिता स्व. गोवर्धनलाल कुकरेजा पुनर्स्थापना-0406/2019/इंदौर/मूडर/2019
उम्र-61 वर्ष, धंधा-व्यापार,
पता-191-बी, साकेत नगर, इंदौर ।
2. वैभव सहकारी संस्था मर्यादित
द्वारा अध्यक्ष - नवनीत पिता मनगट सिंह बग्गा,
निवासी-46, पटेल नगर, इंदौर ।
3. कन्हैयालाल पिता लालजी बलाल,
पता-ग्राम बिचौली हप्सी, तहसील व जिला इंदौर। --- प्रार्थी

विरुद्ध

मुकेश पिता भागीरथ ठाकुर,
निवासी-210, प्रेम प्लाजा, 5-6, अशोक नगर,
भंवरकुंआ रोड़, इंदौर। --- प्रतिप्रार्थी

आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी सहपठित धारा 35 (2)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी की ओर से निवेदन हैं कि :-

1- यह कि, माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2014 से असंतुष्ट होकर निगरानी याचिका क्रमांक 3916/पी.बी.आर./2014 माननीय न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी, सदर प्रकरण दिनांक 21.02.2019 को इंदौर केम्प में अंतिम तर्क हेतु नियत था।

2- यह कि, प्रार्थीगण को पूर्व अधिवक्ता महोदय द्वारा नस्ती लौटा दी गई थी, प्रार्थीगण ने उनकी ओर से पैरवी करने के लिए अधिवक्ता किशोर जैन, हेमंत गोयल को नियुक्त किया था, दिनांक 21.02.2019 को अभिभाषक अन्य प्रकरण में व्यस्त होने के कारण समय रहते पुकारते माननीय न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित होने से प्रकरण प्रार्थी एवं अभिभाषक की अनुपस्थिति के कारण निरस्त किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता अन्य प्रकरण से लौटकर माननीय न्यायालय के समक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

9

प्रकरण क्रमांक: ३६० ४०६ / १९ / ५०५ / ५०५

भाष-अ

तहसील: जीपाल विरुद्ध

मुकेश

जिला:

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. तहसील का प्रकरण क्रमांक.

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक.</p> <p>के विरुद्ध श्री: विनाई सुजांशी</p> <p>के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/.....</p> <p>.....रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p>प्रस्तुतकार</p> <p>आवेदकगण श्री अशोक श्री विनाई सुजांशी, अजिमापूर अखिल / पुनर्स्थापन आदेश पत्र पर सुना गया। विचारोपरान्त न्यायहित के मूल प्रकरण क्रमांक निगरानी ३९१६-बीबीआर/१५ सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिखा आदेश/ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p>	<p>रिबेड Demand 21/5/19</p>

13-3-2019

Be...

...

366289